न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 93/2020

कुलदीप सिंह आदि बनाम कमलदीप कौर आदि

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

(अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 92ए आरटीए).

--आदेश-- **दिनांक : 26.03.2025**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण(प्रतिवादीगण) के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हस्तगत वाद में वादीगण के द्वारा पंजीकृत दस्तावेज दानपत्र दिनांकित 14.03.2012 एंव बैयनामा दिनांक 14.03.2012 को निरस्त घोषित करवाने के लिए दावा पेश किया गया है, जबकि पंजीकृत दस्तावेजात को शून्य एंव निरस्त करवाने के लिए केवलमात्र सिविल न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। राजस्व न्यायालय को पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार नहीं है। जब तक उक्त पंजीकृत दस्तावेजात सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं हो जाते, तब तक वादीगण को उक्त दावा पेश करने का वाद कारण हासिल नहीं है। अनवानी प्रकरण वर्ष 2020 में पेश किया है। वादीगण ने दानपत्र व बैयनामा दिनांकित 14.03.2012 को इसलिए चुनौती नहीं दी, क्योंकि अब वे उक्त दस्तावेज को तीन वर्ष की अवधि व्यतीत होने के कारण निरस्त करवाने के अधिकारी नहीं रहे। वादीगण को उक्त दावा पेश करने का कोई वाद कारण हासिल नहीं है और दावा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण(वादीगण) का वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की नकल अधिवक्ता अप्रार्थीगण(वादीगण) को दिलवाई गई। अधिवक्ता अप्रार्थीगण(वादीगण) के द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा जो अनुतोष चाहा गया है। वह माननीय न्यायालय से प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिए दावा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। वादी का वादपत्र दस्तावेज निरस्त करवाने का दावा नहीं है। केवल इन्तकाल शून्य घोषित करवाने व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का व कृषि भूमि में अपना 1/4 हिस्सा घोषित करवाने का है। उक्त तथ्य साक्ष्य के मिश्रित तथ्य हैं। जिस पर तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य दर्ज होने पर ही दावा का अन्तिम निर्णय किया जा सकता है कि दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है या नहीं साक्ष्य के आधार पर ही तय किया जावेगा। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश करके निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) के द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाद पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जावे। अप्रार्थीगण(वादीगण) अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किए जाने बाबत निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा प्रार्थना पत्र पर अवलोकन किया। प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मे निवेदन किया है कि हस्तगत प्रकरण में वादगत भूमि के हम प्रतिवादीगण के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत दानपत्र व बैयनामा के आधार पर नामातंरण संख्या 308 व 309 दर्ज हुए है। जब तक पंजीकृत दस्तावेजात को सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती है, तब तक उक्त पंजीकृत दस्तावेजो के आधार पर निष्पादित नामांतरण को रद करने की कार्यवाही माननीय न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। पंजीकृत दस्तावेजात के संबध में माननीय न्यायालय को सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार हासिल नहीं है। इसलिए वाद पत्र खारिज किया जावे।

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मे यह प्रावधान है कि वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं मे ना मंजूर कर दिया जाएगा-

1. जहां वह वाद हेतुक प्रकट नही करता।
2. जहां दावाकृत मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा आपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने मे असफल रहता है।

उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर

3. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन   ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पेपर पर लिखा गया है और वादी आपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा आपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय मे नियम किया है ऐसा करने मे असफल रहता है।

4. जहां वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे यह उल्लेख किया गया है कि वादीगण द्वारा जो अनुतोष चाहा गया है। वह माननीय न्यायालय से प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिए दावा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। वादी का वादपत्र दस्तावेज निरस्त करवाने का दावा नहीं है। केवल इन्तकाल शून्य घोषित करवाने व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का व कृषि भूमि में अपना 1/4 हिस्सा घोषित करवाने का है। उक्त तथ्य साक्ष्य के मिश्रित तथ्य है। जिस पर तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य दर्ज होने पर ही दावा का अन्तिम निर्णय किया जा सकता है कि दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है या नहीं साक्ष्य के आधार पर ही तय किया जावेगा। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज फरमाया जावे।

वादीगण का वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है या नहीं। इसके लिए वाद पत्र का अवलोकन किया गया। वादीगण के द्वारा वाद पत्र में पंजीकृत दानपत्र दिनांक 14.03.2012 व पंजीकृत बैयनामा दिनांक 14.03.2012 को विधि-विरूद्व, शून्य व अवैध, बिलाधिकार व नुमाईशी है तथा विधि की नजर में शून्य होने के कारण वादीगण के अधिकारों पर बेअसर घोषित करते हुए खारिज फरमाया जाकर वादीगण प्रत्येक को 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष पंजीकृत दस्तावेजात को निरस्त कर ही दिया जा सकता है और पंजीकृत दस्तोवजात को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 91 आरटीए, इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। प्रार्थना पत्र सामिल पत्रावली रहे।

आदेश आज दिनांक 26.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम आर.ए.एस.

कुलदीप सिंह आदि बनाम कमलदीप कौर आदि
धारा अन्तर्गत **88, 188, 91, 92ए** आरटीए मुकदमा नम्बर **93/2020**
निर्णय दिनांक :- 26.03.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री सतीश कुमार अरोडा एवं प्रतिवादी अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह** बराड पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 92ए आरटीए प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किए जाने पर खारिज किया जाता है व काउन्टर क्लेम नोटप्रेस करने पर खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 26.03.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम} (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम} (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर